Hindustan Times, Delhi, 17/09/2025
Page No: 6, Size: 5.48cm × 9.08cm

NHRC takes notice of assault on a media person

The National Human Rights Commission took suo moto cognisance of a media report that a media person was assaulted and grievously injured by a group of some anti-social elements near Lumding Railway Institute in Assam on September 7. Reportedly, he was rescued by the police and taken to the hospital for treatment. The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of human rights violation. It has issued a notice to the Director General of Police, Assam calling for a detailed report.

बैठक

एनएचआरसी शिकायतों का करती है निपटान 92 फीसदी, भारत सहित दुनिया के 16 देश में बिजनेस राइट लागू

मानवाधिकारों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं : बालकृष्ण गोयल

संवाद न्यूज एजेंसी

नारनौल। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल ने कहा कि कहीं भी मानव अधिकारों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आयोग की एडवाइजरी को लागू करना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। लोगों के अधिकारों की रक्षा करना प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी है। गोयल मंगलवार को लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक में कही। गोयल ने कहा कि मानव अधिकार आयोग का विशेष स्थान है। देश का मानव अधिकार आयोग पूरी दुनिया में सबसे अधिक शिकायतें सुनने वाला आयोग है।

उन्होंने कहा कि आयोग को मिलने वाली 92 फीसदी शिकायतों का निपटान किया जाता है। यही कारण है कि आयोग को इस मामले में 'ए' रेटिंग मिली है। उन्होंने कहा कि आयोग केवल दिल्ली में बैठकर नजर नहीं रखता बल्कि धरातल पर उतरकर काम कर रहा है। गोयल ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन के इस युग में अब बिजनेस राइट भी शामिल किया है।

16 देशों ने इस व्यवस्था को लागू किया। भारत भी उसमें शामिल है। एक ग्लोबल प्लेटफार्म शुरू हो चुका है। इन देशों में व्यापार के दौरान अगर कोई धोखा होता है तो आयोग को शिकायत कर सकता है। उन्होंने कहा कि आयोग हर प्रकार की शिकायतें सुनता है व उसका प्राथमिकता पर निपटारा करता है।

आयोग सर्विस मैटर भी सुनता है। वहां हर विषय के विशेषज्ञ बैठे हैं। अधिकतम 3 माह में शिकायत का निपटारा किया जाता है।

कोई भी नागरिक आयोग की वेबसाइट एचआरसीएनईटी.एनआईसी. इन पर शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मानव अधिकारों को लेकर हमेशा संवेदनशील होना चाहिए। बैठक में पुलिस एसपी वशिष्ठ, जिला नगर आयुक्त रणवीर सिंह आदि मौजूद थे।

स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करते हुए स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल। स्रोत : प्रशासन

एनएचआरसी के स्पेशल मॉनिटर ने किया रामपुरा पीएचसी का निरीक्षण

संवाद न्यूज एजेंसी

नारनौल। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल ने मंगलवार को रामपुरा पीएचसी व आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी प्रकार की सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को इलाज का अधिकार है। ऐसे में प्रत्येक नागरिक को गुणवत्ता पूर्वक चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाना सुनिश्चित करें। पीएचसी पर साफ सफाई व व्यवस्थाएं देखकर गोयल ने संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने कहा कि इसे इसी प्रकार मेंटेन रखें।

गोयल ने इलाज के लिए आए मरीजों से काफी देर तक बातचीत की व वहां पर मिल रही सुविधा के बारे में फीडबैक लिया।

स्वास्थ्य केंद्र रामपुरा में 100 ओपीडी रोजाना होती हैं

सीएमओ डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि यहां पर लगभग 100 ओपीडी रोजाना होती है। इसके अलावा हर रोज 6-7 मरीज दाखिल भी किया जा रहे हैं। इसके बाद गोयल ने पूछताछ खिड़की, जन्म मृत्यु पंजीकरण, ओपीडी, आयुष विभाग, आपातकालीन कक्ष, कोल्ड चेन रूम व टीकाकरण रूम में जाकर व्यवस्थाएं देखी।

दवाइयों का स्टॉक भी चेक किया। इस मौके पर जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा भी मौजूद थे।

News Break

Inside Amazon India's pressure cooker warehouses: Workers `forced to meet unrealistic targets in 55C heat'

https://www.newsbreak.com/the-independent-517119/4237268174081-inside-amazon-india-s-pressure-cooker-warehouses-workers-forced-to-meet-unrealistic-targets-in-55c-heat

By Shahana Yasmin,

3 hours ago

Amazon warehouse staff in India are still being forced to work in temperatures as high as 55C and the majority feel conditions are too hot to be safe, according to a new survey.

The survey was released on Monday by UNI Global Union, nearly one year after the company came under fire over accounts of workers fainting and falling sick in stifling conditions.

It covers 474 warehouse and delivery workers across India this summer. Of those surveyed, 75 per cent said they or a coworker required medical attention and 58 per cent described their workplaces as “extremely hot and unsafe” or feeling “like an oven”. Nearly 68 per cent said they had felt sick, dizzy, or faint at work, and 85 per cent witnessed a coworker fall ill from heat exposure.

Amazon has strongly rejected the findings of the survey, saying it is proud to provide employment for around 120,000 people in India and that it has measures in place to ensure their safety in the workplace.

Union officials and workers, on the other hand, argued that the survey findings matched their daily experiences. Asked about the hottest temperatures they had to endure inside an Amazon India warehouse, workers in the report gave figures ranging from 42C to as high as 55C. Nearly half of the workers said they were not told the actual temperature inside their facilities.

Forty-one per cent said they couldn’t slow their pace without risking penalties and 59 per cent described their targets as unachievable in high heat. More than half said they were punished or warned for slowing down during heatwaves, with consequences ranging from wage loss (36 per cent) and disciplinary action (38 per cent) to loss of bonuses (15 per cent) and even team penalties (11 per cent).

Only 7 per cent reported being granted extra breaks during heatwaves while 16 per cent said they were offered no cooling measures at all and 51 per cent said that they were denied healthcare after disclosing symptoms.

Amazon said the survey was “not an accurate representation of the experience of hundreds of thousands of people working across our operations network in India”.

“By contrast, our latest internal surveys, conducted anonymously, show that 9 out of 10 associates rate Amazon favourably on job satisfaction,” a spokesperson told The Independent.

The “facilities are air-conditioned, provide safe working conditions, and include infrastructure specifically designed to support associate health and comfort,” the spokesperson said. “We recently announced an investment of Rs20bn (£167m) to further elevate associate experience.”

This new investment, Amazon India claimed, entailed installing new cooling systems, putting in place enhanced safety measures, and expanding Project Ashray, a network of rest stops for delivery drivers offering air-conditioned seating, water, toilets, first aid, and refreshments.

Sixty-five such facilities are currently operational and more than 100 are planned by the end of 2025, the company said.

The Independent spoke to a number of workers at Amazon’s Manesar warehouse in the northern state of Haryana, who said that while the conditions offered by the company look good on paper, in practice workers still face daily struggles.

An Amazon India warehouse employee says unloading trucks during summer often becomes ‘unbearable’ (Amazon India Workers Union)

One 24-year-old who has been employed on-and-off with Amazon India since 2020 in Manesar, told The Independent unloading trucks in the fulfilment centre dock often became unbearable.

“Yes, I agree there is a fan in the area. But the trucks are between 32 and 34ft and there is no fan inside,” he said. “If you go and tell our seniors that we are feeling hot, they say: ‘Do the work or else go home.’”

The pressure extended beyond the heat, he complained. “We’re expected to unload the vehicle within one to one-and-a-half hours. The vehicle is huge – it’s not possible to unload everything within that time with just three people. Because of the extreme heat, many refuse to go inside the truck. This often leads to fights among us.”

He said he complained several times to managers about the situation, after which he was issued a warning letter.

A second worker, 23, who also spoke on the condition of anonymity for fear of retaliation, described the pressure of hitting a target of attaching 650 labels an hour in the warehouse. “One time, I returned from the bathroom and my manager asked where I had been. When I told him, he said, ‘You get paid to work, the company does not pay for you to go to the bathroom or drink water.’”

He said the pressure to meet such targets made the work more dangerous. “There are boxes of mattresses, polythene, and tape that we have to cut open with knives,” he

explained. “Because of the speed we are forced to work at, people rush. When people are moving quickly with knives, there’s always a chance of injury. From what I see, safety is not being given the importance it deserves.”

Both men said that fainting was a regular occurrence in the summer. “Some of my female friends fainted. I witnessed this many times,” said the first worker.

Medical support, they said, was limited to the on-site clinic handing out painkillers. “Every time we go and say we are sick or feeling ill, they give us a paracetamol tablet and tell us to rest a bit and go back to work,” he said.

“We don’t even entertain the concept of taking breaks or resting. On paper, we are allowed a lot of things, but the repercussions are so harsh that we don’t even think about it.”

A view inside Amazon India’s Manesar warehouse, where employees claim to face pressure to meet targets in hot conditions (Amazon India Workers Union)

For many of the surveyed workers, speaking up carried its own risks: 42 per cent said they feared reprisals for raising safety concerns.

Just 27 per cent of workers said they felt safe raising issues while 47 per cent said Amazon didn’t take heat safety seriously.

Workers said any improvements on the ground had been modest. “There have only been a few changes since last year’s heatwave and the media attention, and even those were made due to pressure from the union,” the 23-year-old worker told The Independent.

“They’ve installed a few fans and coolers but everything else is pretty much the same. The targets remain the same. As for the salary, they only increased it by Rs700 (£5.80). So, earlier I was getting paid Rs10,088 (£84) and now I get Rs10,788 (£90) per month.”

His colleague put it bluntly: “Multiple people I’ve worked with over the years stayed here for two or three months and then left. They said the heat is too much, the work pressure is so high, it does not look doable to us.”

The choice to endure or leave Amazon is shaped as much by the heat inside warehouses as by the scarcity of work outside. According to the government’s latest Periodic Labour Force Survey, unemployment rose to 5.6 per cent in June 2025, up from 5.1 per cent the previous month, The New Indian Express reported.

Independent estimates are worse: the Centre for Monitoring Indian Economy puts June’s unemployment figure at 7 per cent.

The cafeteria for workers inside the Manesar warehouse – the company maintains that workers are allowed two 30-minute breaks per shift (Amazon India Workers Union)

Even with the fear of retaliation, low wages and harsh conditions, workers accept the risks: informal work remains widespread in India and formal contracts offering steady monthly income and social security are hard to find outside large platforms.

Amazon maintains that its fulfilment centres are equipped with air-conditioned break rooms with ample seating, where staff are entitled to two scheduled 30-minute breaks per shift and can also take informal pauses when needed. The company also claims that trained nursing staff provide first-aid cover at all large sites and that regular safety drills and evacuation protocols are carried out at all their fulfilment centres.

They insist that the survey's allegations are not representative of the company's facilities, highlighting its policy of providing breaks, cold water, electrolytes and climate-control systems. It says managers are trained to encourage staff to use their full break times and that their "break adherence report demonstrates 96 per cent of associates take adequate breaks".

"The survey in question appears to have been deliberately framed to advance a pre-set narrative by those who wish to tarnish Amazon's reputation in India," an Amazon India spokesperson said, adding that "we cannot confirm the authenticity of the survey or the 474 respondents that are quoted in the survey".

The tension between worker accounts and corporate assurances is not new. Last summer, during one of India's hottest seasons ever, media outlets, including The Independent, documented workers collapsing, vomiting and being pressured to work through the heat.

In June 2024, the **National Human Rights Commission** took notice of reports saying that warehouse workers at the Manesar facility had been forbidden bathroom or water breaks while working under extreme heat.

Amazon later admitted "safety lapses" in that warehouse but described them as "unfortunate and isolated" and initiated disciplinary proceedings against those implicated in the incident.

Activists from the Extinction Rebellion climate change group block the exit to an Amazon distribution centre during a protest in Tilbury, east of London, in 2021 (AFP via Getty)

Globally, the American company has faced comparable allegations. Last year, the US Occupational Safety and Health Administration reached a settlement with Amazon for failing to adequately protect warehouse staff at 10 facilities across the country. In the UK, the GMB union has campaigned for years over what it calls "inhuman" targets and unsafe conditions, leading to strikes at Amazon's Coventry site in 2023 and 2024.

In November last year, Amazon India workers joined the global "Make Amazon Pay" protests alongside the company's staff in the US, Germany and France, demanding higher wages, adequate rest breaks, and union rights.

Despite the scrutiny, Amazon’s business in India has continued to grow. According to the Economic Times, the company’s marketplace arm Amazon Seller Services had an operating revenue of Rs254bn (£2.1bn) in the 2024 financial year, up 14 per cent from the previous year, while logistics arm Amazon Transportation Services reported revenues of Rs48.89bn (£407m).

“The 2024 heatwave was a warning and one year later our survey shows little has changed,” UNI Global Union general secretary Christy Hoffman said. “No worker should be forced to risk their health or their life for Amazon’s bottom line. Heat protections must be enforceable, and workers themselves must have a say in setting the standards.”

For the workers, the promises remain hard to reconcile with lived reality. “In my opinion, they do not take safety seriously. The way they push us to meet targets, it’s impossible to maintain proper safety,” said one of the workers.

Citizens for Justice and Peace

Uttarakhand: FIR after 7-year-old Muslim boy allegedly beaten by government school teachers

7-year-old Muslim boy left with fractured hand, severe trauma after alleged assault by govt school teachers in Haridwar

https://cjp.org.in/uttarakhand-fir-after-7-year-old-muslim-boy-allegedly-beaten-by-government-school-teachers/

15, Sep 2025 | CJP Team

In Uttarakhand's Haridwar district, a seven-year-old Muslim boy was allegedly subjected to brutal physical assault by two teachers at a government primary school in Jhabrera village. The assault, reportedly triggered by the child's two-day absence from school.

Child was assaulted by two teachers in the classroom

According to a police report, the child was assaulted by two teachers—Rakesh Saini and Ravindra—inside the classroom shortly after he returned from a short absence. The complaint, filed by the boy's father, alleges that one teacher held the child down while the other repeatedly beat him with a stick.

CJP is dedicated to finding and bringing to light instances of Hate Speech, so that the bigots propagating these venomous ideas can be unmasked and brought to justice. To learn more about our campaign against hate speech, please become a member. To support our initiatives, please donate now!

According to the Indian Express, Jhabrera Station House Officer Ajay Shah said that victim's father alleged that one of the teachers 'threw the child to the ground, pressed his face with a shoe, and held his hands' while the other 'beat him with a stick'.

The child reportedly sustained multiple injuries, including a fractured hand and trauma to his back and hips. Photographs of the boy, shared by the family, show red scars on his body, highlighting the severity of the attack.

Principal accused of inaction

The child's father initially approached the school principal to report the incident, but claims his concerns were dismissed. Instead of receiving support, he alleges he was met with threats from the accused teachers.

"When I went to the school, both teachers threatened me, saying: 'Go away, otherwise we will kill you," the father stated in his complaint, as reported

Following the alleged inaction by the school authorities, the father took the matter to Jhabrera police station, leading to the registration of a First Information Report (FIR) on September 11, 2025.

Legal action and investigation

Police confirmed that the FIR has been filed under Section 75 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, for cruelty to a child. The case also includes charges under the Bharatiya Nyay Sanhita (BNS) Section 115(2) for voluntarily causing hurt and Section 351(2) for criminal intimidation.

“Further investigation and due legal proceedings are underway,” officials at Jhabrera police station said.

The child is currently undergoing treatment at a local hospital for his injuries. His family says he remains in shock from the incident.

Complaint filed with Minority Commission and NHRC

Mohammad Saddam Mujeeb, former advisor at the Delhi Minorities Commission, has filed complaints with the National Commission for Minorities, the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), and the National Human Rights Commission (NHRC).

“This is a clear violation of child rights and it needs to be investigated. Student safety is at stake,” said Mujeeb, Maktoob Media reported.

He added, “This can happen with any student in the state. It should not be repeated; hence, accountability must be ensured.”

The Observer

Abdul Wahid Shaikh Seeks ₹9 Crore Compensation for Nine Years of Wrongful Imprisonment

https://theobserverpost.com/abdul-wahid-shaikh-seeks-%E2%82%B99-crore-compensation-for-nine-years-of-wrongful-imprisonment/

By The Observer Post Published 12 hours ago

Meenakshi Kandpal

Abdul Wahid Shaikh, who was the only person acquitted in the 7/11 Mumbai train blasts case by the trial court in 2015, has approached the National Human Rights Commission (NHRC), the State Human Rights Commission, and the National Commission for Minorities, seeking compensation of ₹1 crore for each year he spent wrongfully imprisoned. Shaikh points to mounting debts of nearly ₹30 lakh, setbacks in his professional life, and the lasting social stigma he has faced as grounds for his claim. He also refers to past NHRC-directed compensations in wrongful detention cases, such as those awarded to ISRO scientist Nambi Narayanan (₹10 lakh in 2001), Fauji Ansari in Jharkhand (₹2 lakh in 2012), and Mohammad Amir (₹5 lakh in 2014).

In his petition to the NHRC, Shaikh highlighted the profound toll that nine years of wrongful imprisonment had on both his personal and professional life. He explained that he had deliberately delayed filing for compensation to ensure that his co-accused in the 7/11 case, who were also innocent, could secure similar relief. Shaikh's claim is reinforced by the Bombay High Court's recent ruling, which reiterated the baselessness of the case and recognized the prolonged violation of fundamental human rights.

Shaikh described the impact of his incarceration, noting that it caused a complete disruption to his career, education, and personal growth. He stated that the stigma of being falsely labeled a "terrorist" continues to affect him even after his acquittal. He also explained that he refrained from seeking compensation earlier out of concern for his co-accused, fearing that the State might retaliate against them if he pursued his claim. With the acquittals now finalized, Shaikh asserts that the case's fraudulent nature is clear, making his demand for compensation both legitimate and urgent. He emphasized that seeking redress at this stage is a matter of justice for the years he unjustly spent in prison.

In India, the question of compensation for wrongful imprisonment remains a complex and evolving issue. While the Constitution guarantees the right to life and personal liberty under Article 21, it does not prescribe automatic financial redress for those wrongfully detained. Over the years, however, various judicial pronouncements and commissions have recognized the need to provide monetary compensation to victims of state action gone wrong, emphasizing that wrongful incarceration often causes irreparable harm to an individual's career, finances, and reputation.

The Supreme Court of India has, in several judgments, affirmed that compensation should be granted to victims of unlawful detention. In the landmark case of DK Basu v. State of West Bengal (1997), the Court underscored the importance of protecting fundamental rights and held that violators of personal liberty could be liable to compensate the affected individual.

Despite these precedents, compensation in India remains inconsistent and case-specific, often depending on whether the individual approaches judicial or quasi-judicial bodies like the NHRC. The amounts awarded are generally modest relative to the years of wrongful incarceration, leaving victims to bear substantial economic and social consequences. Scholars and activists argue for a more structured statutory framework that sets clear guidelines for eligibility, quantum of compensation, and timelines, ensuring that victims of judicial errors or police excesses are adequately compensated without unnecessary delay.

Many nations recognize that imprisonment without just cause causes irreparable harm to an individual's liberty, finances, reputation, and mental health, and have therefore enacted laws or policies to provide compensation.

Across the world, compensation for wrongful incarceration is often more structured and generous than in India. Countries such as the United States, Canada, the United Kingdom, France, and Germany have statutory or court-mandated schemes that provide financial redress per year of wrongful imprisonment, along with additional benefits like healthcare, job training, lost wages, and social reintegration support. For instance, the U.S. offers up to $100,000 per year in some states, while Canada provides up to CAD 2 million annually under its federal scheme. European nations similarly provide automatic or court-ordered compensation, recognizing both economic and psychological harm. By contrast, India's approach remains largely case-specific and inconsistent, with awards often modest and delays prolonged, highlighting a need for a clear statutory framework to ensure timely and adequate relief for victims of wrongful detention.

TIMES OF INDIA, Online, 17.9.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Times of India

Undertrial's death: Hamirpur jail officials, others booked for murder

https://timesofindia.indiatimes.com/city/kanpur/undertrials-death-hamirpur-jail-officials-others-booked-for-murder/amp_articleshow/123928499.cms

Faiz Rahman Siddiqui | Sep 17, 2025, 03:14 IST

Kanpur: In the case of the death of a undertrial, Hamirpur police filed a case of murder and other charges against Jailer KP Chandila, Deputy Jailer Sangesh Kumar, and seven named individuals, along with other unknown persons after the post-mortem of the 32-year-old undertrial Anil Kumar Tiwari's body was conducted.

Following the registration of the case, Tiwari's family agreed to take the body for last rites. The last rituals will be performed at the village and the body will be cremated at the Hamirpur cremation ground under police security.

Senior police officer (SP) Dr Deeksha Sharma stated that the case was registered based on a complaint by the deceased undertrial's wife, Pooja Dwivedi. The charges include murder against Jailer KP Chandila, Deputy Jailer Sangesh Kumar, Jail Warder Anil Yadav, Lumbardar Dilip, Shafi Muhammad, Deepak, Writer Vinay Singh, and other unidentified individuals.

The Lucknow administration and correctional services have suspended the concerned personnel, and departmental action is being taken against them, said Shrama adding that other necessary legal actions are also underway.

Meanwhile, inmates from Hamirpur jail submitted a complaint to CM Yogi Adityanath, jail minister, National Human Rights Commission in Delhi, the DGP in Lucknow, the State Human Rights Commission in Lucknow, the district magistrate, and the Superintendent of Police in Hamirpur.

The inmates allege that the assault continued until Tiwari fell unconscious and died. They have called for an investigation and a murder case against those responsible.

Anil Tiwari had been in jail since Sept 11 after a non-bailable warrant was issued for his failure to appear in court hearings related to an assault case involving a Dalit man.

On Sunday, Tiwari allegedly caused a disturbance inside the prison and was 'brought under control' by the jailer, deputy jailer, jail warden, and their subordinates. He subsequently fell ill and was taken to the hospital, where he was declared dead.

Tiwari's family claimed he had injury marks on his back and died due to torture. Later, they refused to collect the body from the mortuary after the post-mortem, until a case was registered and compensation was assured.

Tiwari, a resident of Surajpur village in Hamirpur, worked in Delhi and used to visit his home often. DM Hamirpur Ghanshyam Meena said, "A proposal will be sent to the govt to provide compensation to the deceased's family. Additionally, steps will be taken to enrol the children in a central school and to ensure the victim receives a widow's pension," said the DM further.

Jagran

हमीरपुर जेल में बंदी की पीट पीटकर हत्या, जेलर, डिप्टी जेलर व जेल वार्डर समेत सात पर हत्या का केस

https://www.jagran.com/uttar-pradesh/hamirpur-up-hamirpur-jail-murder-case-filed-against-jailor-deputy-jailor-and-jail-warder-24049150.html

By Anurag Mishra Edited By: Anurag Shukla

Updated: Tue, 16 Sep 2025 04:54 PM (IST)

हमीरपुर जेल में एक बंदी की पीट-पीटकर हत्या के मामले में कोतवाली पुलिस ने जेलर डिप्टी जेलर समेत सात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद परिजन शव लेने को तैयार हो गए हैं। गांव में अंतिम दर्शन के बाद हमीरपुर के श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर गांव में पुलिस बल तैनात है।

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हमीरपुर जेल में बंद विचाराधीन बंदी की हत्या कर दी गई। उसको बेरहमी से पीटा गया। शरीर पर चोंटें जेल के अंदर दी गई। वह रात भर घायल पड़ा रहा और पानी मांगता रहा। सुबह उसकी मौत हो गई। कोतवाली पुलिस ने बंदी के शव का पोस्टमार्टम होने के 22 घंटे बाद जेलर व डिप्टी जेलर समेत सात नामजद व अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

मुकदमा दर्ज होने बाद स्वजन पोस्टमार्टम से शव ले जाने को राजी हो गए हैं। वहीं गांव में शव का अंतिम दर्शन कराने के बाद हमीरपुर स्थित श्मशान घाट में शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिसे लेकर गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस सुरक्षा के बीच शव का अंतिम संस्कार किए जाने की बात कही जा रही है।

एसपी डा.दीक्षा शर्मा ने बताया कि मृतक बंदी की पत्नी पूजा द्विवेदी की तहरीर पर जेलर चंदीला, डिप्टी जेलर संगेश, जेल वार्डर अनिल यादव, लंबरदार दिलीप, शफी मुहम्मद, दीपक, राइटर विनय सिंह व अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

इधर, जेल के बंदियों ने मुख्यमंत्री व जेलमंत्री को पत्र में लिखकर भेजी क्रूरता की कहानी

जेल के बंदियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जेलमंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली, डीजीपी लखनऊ, राज्य मानव अधिकारी आयोग लखनऊ, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक हमीरपुर को रजिस्ट्री के माध्यम से भेजे गए शिकायती पत्र में जेल में हुई क्रूरता की कहानी हो लिखकर भेजा है और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जेल से आए बंदियों ने भेजे गए पत्र में लिखा है कि वह लोग जेल में पीसीओ पर बात करने गए थे। तभी पीसीओ के पीछे से शोरगुल व मारपीट की आवाज आ रही थी। चिल्लाने की आवाज सुनकर देखा तो लंबरदार दीपक, दिलीप, राइटर विनय व पुलिस कर्मी अनिल यादव व डिप्टी जेलर संगेश बंदी अनिल कुमार तिवारी को डंडों से पीट रहे थे। वहीं जेलर चंदीला खड़े थे जो दीपक लंबरदार से कह रहे थे कि इतना मारो कि बचने न पाए।

बंदियों का आरोप है कि उक्त सभी लोग अनिल को तब तक पीटते रहे जब तक वह बेहोश होकर नही गिर गया और इसी मारपीट से उसकी मौत हो गई। बंदियों ने उक्त मामले की जांचकर मारपीट करने वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

Panchjanya

मुद्दा : 'हाउसिंग जिहाद'

https://panchjanya.com/2025/09/16/435546/analysis/direct-translation-housing-jihad/

Written by प्रियंक कानूनगो Sep 16, 2025, 08:41 pm IST in विश्लेषण, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर नेरल के पास बन रहा 'सुकून एंपायर' हाउसिंग प्रोजेक्ट, पिछले दिनों एक विवाद का विषय बनकर उभरा। दरअसल इस प्रोजेक्ट का एक प्रचार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें इस प्रोजेक्ट को 'हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप' के रूप में पेश किया गया है। इसे विशेष तौर पर 'मुस्लिम समुदाय के लिए' बताया गया। वीडियो में दावा किया गया है कि यहां परिवार अपने मजहबी तौर-तरीकों से समझौता किए बिना रह सकते हैं और बच्चे हलाल माहौल में बड़े होंगे। इस पूरे प्रकरण ने सोशल मीडिया, राजनीतिक गलियारों और बौद्धिक समाज में हलचल मचा दी। शिवसेना (शिंदे गुट) नेता संजय निरुपम ने इसे 'हाउसिंग जिहाद' करार दिया है।

एनसीपी (शरद पवार गुट) के रोहित पवार ने कहा, 'यह देश हर समुदाय का है। मजहब के आधार पर विज्ञापन देना संविधान का उल्लंघन है, इसे रोका जाना चाहिए।' भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर ऐसे विज्ञापनों पर तत्काल रोक लगाने और कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने इसे समाज में वैमनस्य और 'जमीन जिहाद' को बढ़ावा देने वाला बताया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (एनएचआरसी) ने इस मामले का गंभीर संज्ञान लिया और महाराष्ट्र सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। एनएचआरसी का मानना है कि इस तरह की मार्केटिंग न केवल मानवाधिकारों के सिद्धांतों का उल्लंघन है, बल्कि यह रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट (रेरा) का भी उल्लंघन है।

सामंजस्य बनाम अलगाव की प्रवृत्ति

भारत में सदा से ही सांप्रदायिक सद्भाव और सांस्कृतिक सामंजस्य की परंपरा रही है। यहां विभिन्न मत-पंथ के मानने वालों ने एक-दूसरे की आस्थाओं को स्वीकार करते हुए सहअस्तित्व का मार्ग चुना है, लेकिन जब एक वर्ग अपने लिए अलग-थलग बस्तियां बनाता है और उन्हें मजहबी पहचान पर आधारित करता है, तब प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है। इतिहास इसका साक्षी है कि जब भी भारत में इस्लामिक आक्रांताओं ने अपनी सभ्यता और संस्कृति थोपने की कोशिश की, तब उसका परिणाम संघर्ष, हिंसा और रक्तपात के रूप में सामने आया। आठ सौ वर्षों तक चले इस संघर्ष ने भारत की आत्मा को आहत किया।

विभाजन भी इसी सांस्कृतिक टकराव का चरम परिणाम था। बावजूद इसके, बहुसंख्यक हिंदुओं ने मुसलमानों को उनके रीति-रिवाजों सहित स्वीकार किया। स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की जड़ें और गहरी हुईं और सह-अस्तित्व की यह परंपरा और मजबूत हुई। ऐसे में 'हलाल हाउसिंग सोसाइटी' का विचार भारत की इस साझा संस्कृति के लिए घातक है। यह प्रयास एक ऐसा माहौल बनाने का है, जिसमें केवल मुसलमान रहें, केवल उसी परिवेश में पलें-बढ़ें और केवल उसी दृष्टिकोण से समाज को देखें।

बचपन से अलगाव की मानसिकता

यदि मुसलमान बच्चों को केवल मुसलमानों के बच्चों के साथ खेलने, केवल इस्लामिक स्कूलों में पढ़ने और केवल अपने ही समुदाय के परिवारों से संपर्क में रहने की आदत डाली जाएगी, तो सहिष्णुता और समझदारी

कहां से विकसित होगी? जब ये बच्चे बड़े होकर सामाजिक जीवन में उतरेंगे तो वे दूसरे समुदायों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएंगे।

परिणामस्वरूप तनाव, अविश्वास और दूरी पनपेगी। यह स्थिति न केवल सामाजिक असंतुलन को जन्म देगी, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी घातक होगी। इस तरह की परियोजनाएं केवल मजहबी जीवनशैली तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे गहरे राजनीतिक उद्देश्य छिपे हैं। मुस्लिम आबादी को अलग-थलग रखकर उन्हें एक ठोस वोट बैंक में बदलना ही ऐसी योजनाओं का वास्तविक लक्ष्य होता है। यह आबादी का नहीं, बल्कि मुस्लिम वोटों को एकमुश्त करने का प्रयास है।

हलाल की राजनीति

आज 'हलाल अर्थव्यवस्था' और 'हलाल राजनीति' की चर्चा के बीच 'हलाल टाउनशिप' एक और चिंताजनक कदम है। सब जानते हैं कि 1947 में भारत का विभाजन हुआ। लाखों लोग मारे गए। यदि आज फिर उसी आधार पर अलग-थलग टाउनशिप बनाई जाएंगी, तो कल को महाराष्ट्र में भी कोई अलग 'इस्लामिक जोन' की मांग कर सकता है। क्या हम इतिहास से कोई सीख नहीं ले रहे हैं?

महाराष्ट्र के नेरल (कर्जत) में प्रस्तावित 'हलाल टाउनशिप' का बोर्ड

भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके मत और पंथ के आधार पर भेदभाव न किया जाए। समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। ऐसे में मजहबी आधार पर विशेष टाउनशिप बनाना सीधे-सीधे संविधान की भावना का उल्लंघन नहीं तो और क्या है। मानवाधिकारों का सीधा अर्थ यही है कि नागरिक अपने अधिकारों का उपभोग करते हुए संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करें। जब किसी समुदाय को मजहबी आधार पर अलग प्रावधान दिए जाते हैं, तो यह मानवाधिकारों की संकल्पना को ही कमजोर करता है।

सोशल मीडिया की भूमिका

सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि देश की बहुसंख्य आबादी इस पूरे मामले से अनभिज्ञ थी। 'हलाल टाउनशिप' जैसा गंभीर मामला चल रहा था, लेकिन किसी को इसकी खबर तक नहीं थी। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे के उठने से पहले गूगल पर 'हलाल टाउनशिप' शब्द को लगभग खोजा ही नहीं गया था। लेकिन जैसे ही यह मामला सामने आया, 5 और 6 सितंबर को हर घंटे साढ़े चार हजार बार तक इस 'कीवर्ड' को सर्च किया गया। यह न केवल सोशल मीडिया की ताकत को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि जनमानस अब खतरे की आहट को पहचान रहा है। जनता का स्वतः जाग्रत होना इस बात का प्रमाण है कि समाज अब सजग है।

वस्तुत: 'हलाल टाउनशिप' जैसी अवधारणाएं भारत की एकात्म परंपरा के लिए गंभीर खतरा हैं। यह प्रवृत्ति न केवल सामाजिक असंतुलन को जन्म देती है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी देश को विखंडित करने की साजिश करती है।

भारत का भविष्य केवल तभी सुरक्षित है जब हम सांप्रदायिक सौहार्द और सहअस्तित्व की परंपरा को मजबूत करें। ऐसे में मजहबी टाउनशिप जैसी विभाजनकारी प्रवृत्तियों को समय रहते रोके जाने की जरूरत है।

VocalTV

नारनौल: प्रत्येक नागरिक को गुणवत्ता पूर्वक इलाज करवाने का अधिकार: बालकृष्ण गोयल

https://vocaltv.in/haryana/nnlevery-citizen-has-the-right-to-quality-medicalphp/cid17425516.htm

By VocalTV Desk | Sep 16, 2025, 18:36 IST

नारनौल, 16 सितंबर (हि.स.)।राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल ने मंगलवार को रामपुरा पीएचसी तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को नॉर्म के अनुसार सभी प्रकार की सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को इलाज का अधिकार है। ऐसे में प्रत्येक नागरिक को गुणवत्ता पूर्वक चिकित्सा सुविधायक मुहैया करवाना सुनिश्चित करें। इस मौके पर बालकृष्ण गोयल ने इलाज के लिए आए मरीजों से काफी देर तक बातचीत की भी की तथा वहां पर मिल रही सुविधा के बारे में फीडबैक लिया।

सीएमओ डॉ अशोक कुमार ने बताया कि यहां पर लगभग 100 ओपीडी रोजाना की हो रही हैं। इसके अलावा हर रोज छह-सात मरीज दाखिल भी किए जा रहे हैं। इसके बाद बालकृष्ण गोयल ने पूछताछ खिड़की, जन्म मृत्यु पंजीकरण, ओपीडी , आयुष विभाग, आपातकालीन कक्ष, कोल्ड चेन रुम, टीकाकरण रूम में जाकर व्यवस्थाएं देखीं। स्टॉक भी चेक किया। इस मौके पर जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा भी मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला

Amar Ujala

मानवाधिकारों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं : गोयल

https://www.amarujala.com/haryana/mahendragarh-narnaul/violation-of-human-rights-will-not-be-tolerated-goyal-narnol-news-c-196-1-nnl1003-129772-2025-09-16?src=top-subnav

संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल Updated Tue, 16 Sep 2025 11:35 PM IST

नारनौल। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल ने कहा कि कहीं भी मानव अधिकारों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आयोग की एडवाइजरी को लागू करना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। लोगों के अधिकारों की रक्षा करना प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी है। गोयल मंगलवार को लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक में कही। गोयल ने कहा कि मानव अधिकार आयोग का विशेष स्थान है। देश का मानव अधिकार आयोग पूरी दुनिया में सबसे अधिक शिकायतें सुनने वाला आयोग है। उन्होंने कहा कि आयोग को मिलने वाली 92 फीसदी शिकायतों का निपटान किया जाता है। यही कारण है कि आयोग को इस मामले में ""ए"" रेटिंग मिली है। उन्होंने कहा कि आयोग केवल दिल्ली में बैठकर नजर नहीं रखता बल्कि धरातल पर उतरकर काम कर रहा है। गोयल ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन के इस युग में अब बिजनेस राइट भी शामिल किया है।

विश्व में 16 देशों ने इस व्यवस्था को लागू किया। भारत भी उसमें शामिल है। एक ग्लोबल प्लेटफार्म शुरू हो चुका है। इन देशों में व्यापार के दौरान अगर कोई धोखा होता है तो आयोग को शिकायत कर सकता है। उन्होंने कहा कि आयोग हर प्रकार की शिकायतें सुनता है व उसका प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करता है।

आयोग सर्विस मैटर भी सुनता है। वहां हर विषय के विशेषज्ञ बैठे हैं। अधिकतम 3 माह में शिकायत का निपटारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक मानव अधिकार आयोग की वेबसाइट HRCNET.NIC.IN पर शिकायत कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि मानव अधिकारों को लेकर हमेशा संवेदनशील होना चाहिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ, जिला नगर आयुक्त रणवीर सिंह, सीटीएम डॉ. मंगलसेन, डीएसपी सुरेश कुमार, सीएमओ डॉ. अशोक कुमार व जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा भी मौजूद थे।

Amar Ujala

Mahendragarh-Narnaul News: एनएचआरसी के स्पेशल मॉनिटर ने किया रामपुरा पीएचसी का निरीक्षण

https://www.amarujala.com/amp/haryana/mahendragarh-narnaul/nhrcs-special-monitor-inspected-rampura-phc-narnol-news-c-196-1-nnl1003-129773-2025-09-16?src=ampnext

संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल Published by: रोहतक ब्यूरो Updated Tue, 16 Sep 2025 11:27 PM IST

नारनौल। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल ने मंगलवार को रामपुरा पीएचसी व आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी प्रकार की सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को इलाज का अधिकार है। ऐसे में प्रत्येक नागरिक को गुणवत्ता पूर्वक चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाना सुनिश्चित करें। पीएचसी पर साफ सफाई व व्यवस्थाएं देखकर गोयल ने संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने कहा कि इसे इसी प्रकार मेंटेन रखें। गोयल ने इलाज के लिए आए मरीजों से काफी देर तक बातचीत की व वहां पर मिल रही सुविधा के बारे में फीडबैक लिया।

सीएमओ डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि यहां पर लगभग 100 ओपीडी रोजाना की हो रही है। इसके अलावा हर रोज 6-7 मरीज दाखिल भी किया जा रहे हैं। इसके बाद गोयल ने पूछताछ खिड़की, जन्म मृत्यु पंजीकरण, ओपीडी, आयुष विभाग, आपातकालीन कक्ष, कोल्ड चेन रूम व टीकाकरण रूम में जाकर व्यवस्थाएं देखी। वहीं दवाइयों का स्टॉक भी चेक किया। इस मौके पर जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा भी मौजूद थे।

Vocal TV

अंचलों में जनता दरबार में कई मामलों का हुआ ऑन द स्पॉट निष्पादन

https://vocaltv.in/jharkhand/many-cases-were-resolved-on-the-spot-in-janta-darbphp/cid17426270.htm

By VocalTV Desk | Sep 16, 2025, 21:01 IST

रांची, 16 सितंबर (हि.स.)। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर जिले के विभिन्न अंचलों में मंगलवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया।

सभी अंचलों में अंचल अधिकारी और राजस्व उप-निरीक्षकों की उपस्थिति में आयोजित जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपने-अपने राजस्व संबंधी आवेदन दिया।

जनता दरबार में मुख्यतः दाखिल-खारिज, पंजी-2 सुधार, करेक्शन स्लिप निर्गत, सीमांकन, अवैध जमाबंदी, प्रमाण-पत्र, पेंशन का निष्पादन किया गया। सभी अंचलों में भूमि दस्तावेज़ सुधार, गलत प्रविष्टि और अभिलेखों में सुधार के लिए प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई की गई। मापी और सीमांकन से जुड़े प्रकरणों में नयी तिथि निर्धारित कर राजस्व कर्मियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए अंचल अधिकारी की ओर से निर्देश दिया गया।

अरगोडा़ अंचल में मौजा अरगोडा की पुष्पा देवी, मोहम्मद बदरुल होदा, मोहम्मद खालिद अनवर खान और बुधु उरांव ने लगान भुगतान नहीं होने से सम्बन्धित शिकायत की, जिसमें भुगतान करने को कहा गया।

गलत रकबा का ऑन स्पॉट निष्पादन

वहीं मौजा हुन्डरु के आवेदक मनोहर साहू की ओर से रकबा गलत होने की शिकायत की थी, जिसका ऑन द स्पॉट सुधार किया गया। साथ ही वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन से सम्बंधित आवेदनों का भी निष्पादन किया गया। सोनाहातू अंचल में किशुन लोहरा को पिता की जेल में मुत्यु के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मामले में आर्थिक सहायता के लिए एक लाख 50 हज़ार रुपये दिए गए।

साथ ही सोनाहातू अंचल में ही अनीत उरांव को पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र जारी किया गया। आदित्य साहू ने पंजी-2 में सुधार के लिए आवेदन दिया था, जिसके निष्पादन के बाद उन्होंने अधिकारियों का आभार प्रकट किया।

वहीं जनता दरबार को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि जनता दरबार आमजन और प्रशासन के बीच संवाद का सेतु है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि किसी भी नागरिक को छोटे-छोटे राजस्व कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जनता दरबार में अधिकतम मामलों का उसी दिन निष्पादन करने की जरूरत है।

JAIHIND JANAB, Online, 17.9.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Jaihind Janab

फिजियोथैरेपी प्राकृतिक व योग चिकित्सालय में विशाल आॅथोर्पेडिक शिविर

https://jaihindjanab.com/%E0%A4%AB%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%A5%E0%A5%88%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B5/

September 16, 2025 Team JHJ

muradnagar news संत परमानंद हॉस्पिटल दिल्ली के वरिष्ठ आॅथोर्पेडिक डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में डॉक्टर शोभित त्यागी हॉस्पिटल आॅफ फिजियोथैरेपी प्राकृतिक व योग चिकित्सालय में विशाल आॅथोर्पेडिक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नि:शुल्क बीएमडी जांच कर उचित परामर्श दिया गया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी डॉक्टरों की सराहना करते हुए सम्मानित किया एवं भविष्य में भी इन कार्यों को सुचारू रूप से करने की उम्मीद जताई।
डॉ शोभित त्यागी ने बताया कि मेरी पहल से जनता में काफी खुशी है कि पहली बार दिल्ली से कितने वरिष्ठ आॅथोर्पेडिक सर्जन का मुरादनगर में आगमन हुआ।
डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव ने मुरादनगर की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आगे भी आथोर्पेडिक शिविर लगाया जाएगा।

muradnagar news

LAGATAR, Online, 17.9.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Lagatar

रांची जिला प्रशासन ने मनाया करमा मिलन समारोह

https://lagatar.in/ranchi-district-administration-celebrated-karma-milan-ceremony

By Maish Bhardwaj | Sep 16, 2025 08:28 PM

Ranchi : रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर हर मंगलवार जिले के अंचलों में जनता दरबार आयोजित किया जा रहा है. आज भी सभी अंचलों में लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और अपनी शिकायतें सीधे अधिकारियों को सौंपी.

दाखिल-खारिज, पंजी-2 सुधार, सीमांकन, पेंशन और प्रमाण-पत्र से जुड़े कई मामलों का तुरंत समाधान हुआ.

सोनाहातू अंचल में एक पीड़ित को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर ₹1.50 लाख की आर्थिक मदद दी गई.

अरगोड़ा और अनगड़ा में पंजी-2 सुधार और ऑनलाइन रसीद का कार्य मौके पर निपटाया गया.

उपायुक्त बोले – जनता दरबार जनता और प्रशासन के बीच भरोसे का पुल है। छोटे-छोटे राजस्व काम अब उसी दिन पूरे होंगे.

समाहरणालय सभागार में करमा पर्व का मिलन समारोह रंगारंग कार्यक्रमों के बीच मनाया गया.

उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, वरीय अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय लोग एक साथ शामिल हुए.

पारंपरिक नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सबका मन जीत लिया.

मांदर की गूंज पर उपायुक्त खुद को रोक नहीं पाए और अधिकारियों व कर्मचारियों संग थिरक उठे.

DC बोले – करमा पर्व हमारी सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक एकता का प्रतीक है। इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है.

उपायुक्त के निर्देश पर जिला प्रशासन की टीम ने हरमू बाजार में छापा मारकर घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग का खुलासा किया.

दुकान से 12 सिलिंडर और गैस रिफिलिंग के उपकरण जब्त हुए.

आरोपी दुकान संचालक के खिलाफ अरगोड़ा थाना में FIR दर्ज हुई.

प्रशासन ने कहा कि घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग जनसुरक्षा के लिए खतरनाक है. दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी.

DAINIK BHASKAR, Online, 17.9.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Dainik Bhaskar

लापता बेटे के इंतजार में रोज खाना बनाती है मां:3 साल पहले गायब हुआ बेटा, पिता बोले-पूछने थाने जाते तो पुलिस कुत्ते की तरह भगा देती

https://www.bhaskar.com/amp/local/bihar/muzaffarpur/news/a-mother-cooks-food-every-day-while-waiting-for-her-missing-son-135931420.html

विष्णुदत्त पांडेय। मुजफ्फरपुर16 घंटे पहले

'मैं रोज अपने बेटे की पसंद का खाना बनाती हूं। उसके लिए थाली सजाती हूं, खाना परोसती हूं। इस इंतजार में कि कहीं से मेरा अजीत लौट आएगा और आते ही खाना मांगेगा।'

ये दर्द है उस मां का जो 3 साल से अपने बेटे की वापसी का इंतजार कर रही है।

दरअसल, मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र के पिपराहां गांव के रहने वाले रामदेव साह और उनकी पत्नी सुशीला देवी का इकलौता बेटा अजीत कुमार (25) 5 दिसंबर 2022 की सुबह घर से निकला, फिर नहीं लौटा।

बूढ़े माता-पिता थाने और पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगाकर हार चुके हैं। न बेटा लौटा, न उसकी कोई खबर ही मिली। अब मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच चुका है।

दंपती का कहना है कि हमें अब बस भगवान का आसरा है। अपने इकलौते बेटे के जन्म के बाद से ही मां सुशीला देवी जिउतिया व्रत करती आ रही हैं। इस बार भी उन्होंने उसी श्रद्धा और विश्वास से निर्जला उपवास रखा, कि उनका बेटा जहां भी हो सुरक्षित हो और एक दिन लौट आए।

बुजुर्ग दंपती का दर्द जानने भास्कर की टीम पिपराहां गांव में उनके घर पहुंची। जानिए एक मां के इंतजार की कहानी....

जब तक सांस है, बेटे का इंतजार करूंगी: मां

जब हम रामदेव साह के घर पहुंचे तो लड़की के चूल्हे पर आग जल रही थी। पास बैठी बूढ़ी मां कभी चूल्हे को देखती, कभी सिर पर हाथ रखकर बैठ जाती।

बूढ़े मां-बाप की आंखें बेटे के इंतजार में पथरा जरूर गई हैं, लेकिन उम्मीद नहीं टूटी है। बेटे का इंतजार करना मानो सुशीला देवी की दुनिया बन गई है।

मां सुशीला देवी कहती हैं, 'जब तक सांस है, मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा अजीत लौट आएगा। इसलिए हर रोज उसकी पसंद का खाना बनाती हूं।

रविवार को जिउतिया पर इस बार भी निर्जला उपवास रखा। भगवान कभी तो मेरी भी सुनेगी। मेरा बेटा लौटेगा।'

थाने से कुत्ते की तरह भगा देते हैं: पिता

अजीत की गुमशुदगी को लेकर जब हमने पिता रामदेव साह से बात की तो वो बोले- 3 साल में DSP-SP समेत कई पुलिस वालों के चक्कर लगाए, मिन्नतें कीं, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली।

बेटे के गायब होने के वाकये को याद कर कहते हैं, '5 दिसंबर 2022 को अजीत सुबह शहर के लिए निकला, फिर लौटा ही नहीं।

काफी खोजबीन के बाद भी जब बेटा नहीं मिला तो हारकर मीनापुर थाने पहुंचे। केस तो दर्ज हो गया, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई।'

रामदेव साह कहते हैं, 'थाने जाओ तो रटा-रटाया जवाब मिलता है। कुत्ते की तरह डांट कर भगा देते हैं। मैंने खुद को फिर भी संभाले रखा है, लेकिन अजीत की मां से क्या कहूं। वो हर दिन बेटे के लिए खाना बनाती है, उसका इंतजार करती है।'

पिता को 2 किलो लहसुन-500 नहीं देने का मलाल

रामदेव साह ने बताया, '3 साल पहले बेटे के गायब होने के बाद मैं तकरीबन रोज थाने जाता था, ये पूछने के लिए कि क्या मेरे बेटे का कुछ पता चला। इस दौरान मुझसे थाने के एक साहब ने कहा- दो किलो लहसुन और पांच सौ रुपए पहुंचा दो। बेटे को खोज देंगे। जांच के लिए तुम्हारे घर भी आएंगे।

उस वक्त मैंने कहा- साहब, मेरे घर में तो 50 ग्राम लहसुन भी नहीं है, मैं दो किलो कहां से लाऊं?’

इस वाकये को याद कर रामदेव साह की आंखें भर आई, वो कहते हैं 'काश मैंने किसी तरह जुगाड़ कर पुलिस की डिमांड पूरी कर दी होती तो शायद आज मेरा बेटा मेरे साथ होता।'

पिता को इस बात का दुख और गुस्सा भी है कि क्या बेटे की कीमत दो किलो लहसुन और पांच सौ रुपए है, जो पुलिस वालों ने पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया।

मानवाधिकार के निर्देश के बाद भी पुलिस सुस्त: वकील

25 साल के युवक को लापता हुए 3 साल हो गए हैं। पुलिस को अबतक अजीत का कोई सुराग नहीं मिला है।

थक-हारकर बुजुर्ग दंपती ने मानवाधिकार आयोग में भी इसकी शिकायत की है। राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से कार्रवाई को लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस को निर्देश भी दिया जा चुका है।

मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया, '25 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय मानवाधिकार और दो मई 2025 को बिहार मानवाधिकार ने मामले को लेकर जांच के निर्देश दिए है।'